राजस्थान सरकार
निदेशालय,समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकः एफ(3)(108) पोषा./सा.आ./आईसीडीएस/2020/13291l-22 जयपुर,दिनांकः 19/11/2020

जिला कलक्टर ,
जालौर,उदयपुर,अलवर,राजसमन्द,बारां,
बीकानेर,अजमेर,बाडमेर,जयपुर,जोधपुर,करौली
एवं सिरोही।

विषयः– महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं योजना अन्तर्गत आंगनबाडी केन्द्रों पर दी जा रही सुविधाओं का पायलेट आधार पर सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक 2020 की परिचर्चा पर दिनांक 13.03.2020 को उत्तर देते हुए निम्नानुसार घोषणा की गई है–

"आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से लगभग 35 लाख से अधिक बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को लगभग 800 करोड़ की राशि से पोषाहार वितरित किया जाता है इसमें पारदर्शिता लाने, पोषाहार की गुणवत्ता बढाने तथा उसमें विविधता लाने की कार्यवाही की जायेगी।"

वर्तमान में राज्य में कोरोना महामारी के आसन्न संकट के दौरान मुख्यमंत्री महोदय के अनुमादेन पश्चात आंगनबाडी केन्द्रों पर पंजीकृत समस्त श्रेणी के लाभान्वितों को वर्तमान में स्वच्छ वायरस मुक्त कच्ची खाद्य सामग्री के रूप में गेहूं चावल व चना दाल का वितरण किया जा रहा है, जिसकी मात्रा निम्नानुसार हैं–

कोरोना काल में अप्रैल माह से आपूर्ति				
पोषाहार सामग्री THR (For 25 Days in a Month)प्रति लाभार्थी				
क्र.सं.	सामग्री	गर्भवती/धात्री महिलाएं तथा 11-14 वर्ष की स्कूल न जाने वालीकिशोरी बालिकाएं	6 माह से 6 वर्ष के बच्चे	6 माह से 6 वर्ष के तक के अति कम वजन वाले बच्चे
		मात्रा (ग्राम में)	मात्रा(ग्राम में)	मात्रा(ग्राम में)
1.	गेहूं	3000	2000	300
2.	चना दाल	1000	1000	2000
योग		4000	3000	5000
कोरोना काल में अगस्त माह से आपूर्ति				
1	गेहूं	1500	1250	2000
2	चावल	1500	1250	1500
3	चना दाल ग्रेड–ए	3000	3000	3000
योग		6000	5500	6500

इस दौरान पोषण माह के अन्तर्गत पोषाहार आपूर्ति के सत्यापन के लिए भी निर्देश दिये जा चुके है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत भारत के महालेखाकार

द्वारा निर्धारित अंकेक्षण मानदण्डों की पालना के लिए समुचित सामाजिक अंकेक्षण भी कराया जाना है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय के गठन की कार्यवाही भी विचाराधीन है। अतः इससे पूर्व विभाग द्वारा संक्षिप्त और पायलट आधार पर संलग्न सूची के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना है। इसके लिए सामान्य प्रावधान निम्नानुसार हैं–

1. सामाजिक अंकेक्षण के लिए सेम्पल के रूप में कुछ जिलों के निर्धारित ग्राम पंचायतों व वार्डों की आंगनबाड़ी केन्द्रों का चयन किया जाएगा, जिसमें सामान्यतः ग्रामीण और शहरी, जनजाति बहुल और सामान्य, मरूस्थलीय, पर्वतीय व अन्य क्षेत्र भी सम्मिलित हो सकें। इसके लिए एक संदर्भ सूची संलग्न है।

2. यह सामाजिक अंकेक्षण चूंकि पायलट रूप में आयोजित हो रहा है, अतः इसमें पूर्व घोषित रूप में जांच व तैयारी की जा सकती है। इसके लिए **बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन केन्द्रों पर समस्त आवश्यक अभिलेखों व कार्यों की पूर्णता सुनिश्चित करेंगे। किसी भी अपूर्णता या त्रुटि की स्थिति में दायित्व उक्तानुसार निर्धारित किया जायेगा।**

3. सामाजिक अंकेक्षण के समय मुख्यतः निम्न अभिलेखों व कार्यों का सत्यापन किया जायेगा–

    1. आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए निर्धारित पंजिकाओं में अंकन तथा उसकी जांच।
    2. आंगनबाड़ी द्वारा दी रही सुविधाओं विशेषतः पूरक पोषाहार का सत्यापन व जांच।
    3. आंगनबाड़ी मातृ एवं बाल विकास समिति तथा अन्य समितियों की स्थिति व उनकी बैठक होने की जांच।
    4. पोषण दिवस (MCHN दिवस) पर किये जाने वाले आयोजनों व दी जाने वाली सुविधाओं की जांच।
    5. कुपोषण सर्वेक्षण व सूचना की जांच।
    6. पोषण वाटिका के विकास संबंधी कार्यो की जांच।
    7. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विद्यमान सुविधाओं के संबंध में सामान्य सूचना।
    8. पोषण अभियान व प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में दी जाने वाली सुविधाओं की जांच।
    9. इस संबंध में महत्वपूर्ण यह है कि जन समूह के समक्ष सूचनाओं के प्रदर्शन एवं सत्यापन के साथ–साथ सामाजिक अंकेक्षण के समय जन समूह के साथ संवाद तथा रेण्डम आधार पर चयनित लाभार्थियों में पोषाहार वितरण की पुष्टि भी की जायेगी।
    10. सामाजिक अंकेक्षण में विभागीय अधिकारियों व कार्मिकों के अतिरिक्त पूरक पोषाहार सुविधा से तटस्थ मानदेय कर्मियों जैसे– आशा सहयोगिनी तथा साथिनों का विशेष उपयोग किया जायेगा, ताकि तटस्थ मूल्यांकन हो सके। इसके अन्तर्गत पारदर्शिता के लिए सिविल सोसायटी से संबंद्ध जनों को भी सम्मिलित किया जायेगा और जहां आवश्यक होगा वहां पंचायती राज के ग्राम या वार्ड स्तरीय प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जायेगा।

11. इसकी समयावधि निम्नानुसार होगी–

क्र.सं.	कार्यक्रम	समयावधि
1	सामाजिक अंकेक्षण टीमों का निर्धारण	30 नवम्बर, 2020
2	सामाजिक अंकेक्षण टीमों के साथ रिकोर्ड साझा करना	15 दिसम्बर, 2020
3	सामाजिक अंकेक्षण टीमों का प्रशिक्षण	1–15 जनवरी 2021
4	पायलेट सामाजिक अंकेक्षणों का क्रियान्वयन (रोल आउट)	15–31 जनवरी 2021

12. सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में सूचना निर्धारित प्रपत्रों में संधारित की जावेगी। जिससे सूचना सरल रूप में संधारित कर सामाजिक अंकेक्षण के समय प्रस्तुत व सत्यापित की जा सके।

अतः विभाग द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं के सामाजिक अंकेक्षण हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। इस संबंध में आप अपने क्षेत्र में होने वाली तैयारियों को मॉनिटर करेंगे तथा संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी अपने क्षेत्र के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर समुचित रिकॉर्ड संधारण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

शासन सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
राजस्थान,जयपुर।

कमांकः एफ(3)(108) पोषा./सा.आ./आईसीडीएस/2020/132923-133264 जयपुर,दिनांकः 19/11/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक,माननीया मंत्री महोदया,महिला एवं बाल विकास विभाग,राज.,जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग,राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस, राज. जयपुर।
4. समस्त उपनिदेशक,समेकित बाल विकास सेवाएं, को प्रतिलिपि देकर लेख है कि सामाजिक अंकेक्षण हेतु नोडल अधिकारी के रूप में उक्त गतिविधियों के कियान्वयन हेतु जिला कलक्टर से समन्वय स्थापित कर सामाजिक अंकेक्षण टीमों का गठन करवाकर उनके अंकेक्षण कार्यक्रम की समय सारणी तैयार करवाते हुए, एवं परिपत्र के बिन्दु सं. 2 की पालना सुनिश्चित करवाते हुए जिला स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित रिकार्ड संधारित कराते हुए निदेशालय को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त को प्रतिलिपि देकर लेख है कि सामाजिक अंकेक्षण हेतु आंगनबाडी केन्द्रों पर परिपत्र के बिन्दु सं. 2 की पालना में रिकॉर्ड पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं परियोजना स्तर पर आवश्यक रिपोर्ट संधारित करते हुए उपनिदेशक कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
6. एसीपी मुख्यालय, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाएं,

आंगनबाड़ी सामाजिक अंकेक्षण के लिए संभावित ग्राम पंचायत एवं वार्ड

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	ग्राम पंचायत
1.	जालोर	जसवंत पूरा	जसवंत पूरा, रामसिंग, मांडोलीनगर, पुनक, राजी का वास
2.	उदयपुर	कोटड़ा	निचली सुबरी, काउचा, मामेर, बिकरनी,डांग
3.	अलवर	रामगढ़	ढेगी का बॉस, सेंथली,चौमा, खोह, खेडी
4.	राजसमन्द	देवगढ़	काकरोद, सोहन गढ़
		भीम	हामेला की वेर, बरजाल, काछबली
5.	बारां	शाहाबाद	क़स्बानोनेरा, मझारी,महोदर, बिलखेडा डांग
		किशनगंज	रामपुर टोंटिया
6.	बीकानेर	नोखा	रोड़ा, हिम्मतसर, भादला, दावा, काहिरा
7.	अजमेर	केकड़ी	नाईकी, कोहड़ा,गुलगांव, निमोद, मानखंड
8.	बाड़मेर	बाड़मेर	जुना पत्रासर, बाड़मेर आगोर, महाबार, सावलोर, बारमेर ग्रामीण
9.	जयपुर	जयपुर	वार्ड न. 15,18, 24, 80, 81
10.	जोधपुर	जोधपुर	वार्ड न. 18
11.	करोली	हिंडोन	कटकड
		सपोटरा	कुलगांव
		नदोती	केमला
		मांडरायल	मांडरायल
		मासलपुर	मासलपुर
12.	सिरोही	आबुरोड	मुंग थला, तलवारों का नाका
		पिण्डवाडा	रोहिडा, भारजा, सांगवाडा

उक्त जिलों की ग्राम पंचायतों/वार्डों में से प्रत्येक जिले की एक एक ग्राम पंचायत/वार्ड का चयन विभाग द्वारा किया जाना है।

सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण के दौरान भरे जाने वाले संदर्भित प्रपत्र

जिला..... परियोजना का नाम.....

दिनांक..... आ.बा.के. का नाम एवं कोड.....

क्रं.सं	अंकेक्षण दल के सदस्य का नाम	पदनाम	संपर्क नंबर	हस्ताक्षर

(i) आं.बा.केन्द्र पर उपलब्ध कराये गये पूरक पोषाहार का सत्यापन

क्रं.सं	बच्चों के नाम	माता / पिता का नाम	उम्र	वर्ष में कुल उपस्थिति	दिए गए पोषाहार की मात्रा	पोषाहार का प्रकार

(ii)

वार	पोषाहार में दिये जाने वाले खाने का विवरण	एक बच्चे को दिए जा रहे पोषाहार की मात्रा
सोमवार		
मंगलवार		
बुधवार		
गुरूवार		
शुक्रवार		
शनिवार		

(iii)

क्रं.सं	बच्चों के नाम	पिता का नाम	उम्र	स्थिति कुपोषित/ अतिकुपोषित	बच्चों को किस दिनांक को कुपोषित/अतिकुपोषित के रूप में दर्ज किया	मासिक वजन वृद्धि दर्ज की है अथवा नहीं ?	विशेष पोषण क्या दिया गया

(iv)

क्रं.सं	गर्भवती/धात्री माताएं/किशोरी बालिका का नाम	पिता/पति का नाम	लाभार्थी का प्रकार	वितरण की गई सामग्री	वितरण की गई सामाग्री की मात्रा	वितरण की दिनांक

(i) आं.बा. केन्द्र पर आयोजित दिवसों के दिन की गई गतिविधियों का सत्यापन

पोषणदिवस के आयोजन का दिन (MCHN दिवस)	पोषण दिवस (CBE दिवस) पर दी जाने वाली जानकारी, सुविधा एवं लाभ का विवरण	पोषण दिवस पर किस तरह की सुविधा एवं लाभ किस योग्य लाभार्थी को दिया जाता है

पोषण वाटिका के तहत किये गये कार्यों का सत्यापन

आंगनबाडी केन्द्र पर लगाई गई सब्जियों की सूची	आंगनबाडी केन्द्र पर लगाये गये फलदार पेडों की सूची	किस–किस सामग्री में राशि व्यय की गई? (मय विवरण)	व्यय की गई कुल राशि

PMMVY के तहत उपलब्ध सुविधाओं का विवरण–

क्र. सं.	पात्र महिला का नाम	पति का नाम	PMMVY के तहत भरे गये आवेदन की संख्या			
			फार्म A	फार्म B	फार्म C	कुल भरवाये गये आवेदनों की संख्या